तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या : 120/25 किरण वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू वगैरह आदेश दफा 5 मि.अ.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2025	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान नजीर एआईआर 2020 एस.सी. 3717 तथा एआईआर 2016 एस.सी. 769 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण को नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 25.06.1998 की सर्वप्रथम जानकारी माह नवम्बर 2017 को राजस्व रिकार्ड की ऑनलाईन जांच करने पर हुई जिस पर आवेदकगण द्वारा तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष मौखिक रूप से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार झुंझुनू ने सक्षम न्यायालय का आदेश लाने पर ही कार्यवाही करने बाबत कहा। तब प्रार्थीगण ने अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में दावा पेश करने सलाह दी गई परन्तु नामान्तरकरण करने की सलाह नहीं दी गई। दिनांक 04.03.2025 को प्रार्थीगण को अन्य दीगर अधिवक्ता द्वारा गलत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने की सलाह दी गई। इस पर नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की जानकारी प्रार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 04.03.2025 को हुई है। जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है। विधिविरूद्ध आदेश पर मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। किसी कारणवंश अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जावें तो उस सूरत में दफा 5 मि.अ. का फायदा दिया जाकर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद समाहत किया जाना उचित व न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. का स्वीकार फरमाया जाकर अपील को अन्दर मियाद मानी जावें। वकील अप्रार्थी सं0 10 ने बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण के तर्को का विरोध किया तथा अपने जबाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण की अपील मियाद बाहर है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण व इसने परिजनों को सदा से रही है। प्रार्थीगण ने अपने परिजनों के साथ मिलकर जालसाजी से उक्त नामान्तरकरण की अपील पेश की है। इस प्रकरण में तथ्यों को छिपाते हुए दावा पेश किया है। पूर्व में वर्ष 2018 में प्रार्थीगण किरण कंवर व मंगेज कंवर ने उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष दावा घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का माता सुमित्रा के साथ प्रस्तुत किया था जो उनवानी सुमित्रा आदि/महावीर आदि मु.न. 07/18 है जिसमें किरण कंवर व मंगेज कंवर क्रमशः वादियागण नम्बर 2 व 3 के रूप में पक्षकार थी। उक्त दावा में वादग्रस्त जमीन की केता चन्द्रकला के हक में बनी द्वितीय रजिस्ट्री का हवाला देकर खाता विभाजन की रिलीफ चाही थी। इस प्रकार से दावे के समय नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की। लेकिन तब भी दावे के विचारण के दौरान एवं ना ही उसके बाद नामान्तरकरण के बाबत कोई कार्यवाही की गई। उक्त दावा मु.न. 07/18 में वादिया नम्बर 1 के रूप में माता सुमित्रा देवी उर्फ संतरा देवी पक्षकार थी जिसके सहवादिगण के रूप में प्रार्थीगण पक्षकार थी। इस कारण माता सुमित्रा देवी से हितबद्धता व जानकारी रही है। मैं तृतीय पक्षकार केता हूं। वर्ष 2018 में चन्द्रकला को पक्षकार बनाया था। वर्तमान में प्रार्थीगण का दावा खारिज हो चुका है। वर्ष 2018 से इनकी जानकारी में है। इनके हिस्से में अलग भूमि खसरा नम्बर 16, 17 व 18 में भी जमीन आई है। जिनके बारे में नहीं बताया। वर्तमान में मौके पर केतागण कब्जा है। प्रार्थीगण की अपील मियाद बाहर है। बंटवारे में इनको दूसरी जमीन दे रखी है। प्रार्थीगण की अपील पेश करने में हुई देरी को माफ न कर अपील मियाद बाहर मानी जावें। अतः अपीलान्टस की अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावें। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के कथनों का समर्थन करते हुये अपीलान्टस की अपील मियाद बाहर मानकर खारिज किये जाने का निवेदन किया। ऐसा ही राजकीय अभिभाषक	

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का भी कथन रहा।

हमने बहस उभय पक्षकार पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्टस द्वारा नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 25.06.1998 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 24.03.2025 को पेश की है यानि लगभग 28 वर्ष बाद पेश की है। अपीलान्ट्स का अपील पेश करने में हुई देरी का अहम तर्क जानकारी नहीं होना बताया है। वहीं दूसरी ओर अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के यहां एक वाद मु.नं. 7/18 दिनांक 05.01.2017 को पेश किया है जिसमें वह स्वयं वादी संख्या 2 व 3 के रूप में पक्षकार है। ऐसे में अपीलान्ट्स को विवादित नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही हो सही नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलान्टस ने लगभग 28 वर्ष बाद अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। 28 वर्षो की देरी को यदि कण्डोन किया जाता है तो दफा 5 मि.अ. का औचित्य ही नगण्य रह जायेगा। विवादित आराजी मे तृतीय पक्षकारान् को बेचान भी हो चुका है। अतः उक्त समस्त तथ्यों से साफ है कि अपीलान्ट्स की अपील मियाद बाहर है। अपीलान्टस की अपील मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जाती है। अपीलान्ट अपने हकूक तय कराने हेतु सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड मातहत के प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं